Subject :--

दिनाँक 31 जुलाई 97 को सम्पन्न हुई परिषद की कार्यकारी समिति की 35 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन ।

MAPCOST

....

श्री बालेन्दु शुक्ल माननीय मंत्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अध्यक्षता में दिनाँक 31·7·97 को विधानसभा स्थित कक्ष क्र· 247 में परिषद की कार्यकारी समिति की 35 वीं बैठक सम्पन्न हुई । तदानुसार कार्यवाही विवरण माननीय मंत्री जी एवं अध्यक्ष कार्यकारी समिति के अनुमोदन हेतु सलंग्न प्रस्तुत है ।

सलंग्नः-कार्यवाही विवरण ।

KMJ 7.8.97

(के·एम·जौहरी)
कार्यकारी संचालक एवं
संयोजक, कार्यकारी समिति·

महानिदेशक

7.8.97

(डॉ· राम प्रसाद)
महानिदेशक

माननीय मंत्री जी /
अध्यक्ष कार्यकारी समिति·

13.8.97

[बालेन्दु शुक्ल]
मंत्री,
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी,
मध्यप्रदेश.

ED
PA(M)

KMJ 20/8

डॉ. आर.के. सिंह
कार्यकारी संचालक
म.प्र.वि.एवं प्रौद्यो.परि., भोपाल

उपरोक्तानुसार अनुमोदन उपरान्त कार्यवाही विवरण की एक एक प्रति कार्यकारी समिति के सदस्यों को भेजे जाने बाबत पत्र हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत ।

कार्यकारी संचालक

दिनाँक 31 जुलाई 97 को सम्पन्न हुई कार्यकारी समिति की 35 वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

......

दिनाँक 31 जुलाई 97 को मध्यप्रदेश विज्ञान एव प्रौद्योगिकी परिषद की कार्यकारी समिति की 35 वीं बैठक प्रातः 11.30 बजे श्री बालेन्दु शक्ल माननीय मंत्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अध्यक्षता में विधानसभा स्थित कक्ष क्र. 247 में आयोजित की गयी जिनमें निम्नानुसार सदस्यगण उपस्थित रहें :-

1. श्री विनोद चौधरी,
   प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन
   विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं सार्वजिनक उपक्रम

2. प्रो. आर.के.एस.चौहान
   कुलपति, विक्रम विश्वविद्यालय
   उज्जैन (म0प्र0)

3. श्री देवेन्द्र सिघंई,
   आयुक्त, उच्चशिक्षा
   मध्यप्रदेश.

4. डॉ. राम प्रसाद
   महानिदेशक,
   म.प्र.विज्ञान एवं प्रौद्यो. परिषद
   भोपाल.

5. श्री के.एम.जौहरी,
   कार्यकारी संचालक
   म.प्र.विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद
   एवं संयोजक
   कार्यकारी समिति.

डॉ.आर.के.सिंह
कार्यकारी संचालक
म.प्र.वि.एवं प्रौद्यो.परि.,भोपाल

माननीय अध्यक्ष महोदय एवं बैठक में उपस्थित अन्य सदस्यों का स्वागत उपरान्त बैठक की कार्यसूचियों पर चर्चा आंरभ हुई :-

सर्वप्रथम दिनाँक 20-21 मार्च 97 को सम्पन्न हुई कार्यकारी समिति की 34 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का समिति द्वारा सत्यापन किया गया ।

कार्यसूची क्र.(1): कार्यकारी समिति की 34 वीं बैठक में लिए गये निर्णयों का पालन प्रतिवेदन ।

इस संबंध में समिति को अवगत कराया गया ।

कार्यसूची क्र.(2): विभागीय पदोन्नति/चयन समिति की सरंचना बाबत ।

इस संबंध में चर्चा उपरान्त निम्नानुसार निर्णय समिति द्वारा लिया गया - कि पदोन्नति/चयन समिति निम्नानुसार होगी :-

1. महानिदेशक
2. कार्यकारी संचालक/परियोजना संचालक/ प्रभारी, सु.सं.उ.के -इनमें से कोई दो सदस्य
3. दो विशेषज्ञ जो कि उच्चतर पद के होंगे एवं परिषद के बाहर के होंगे ।
4. शासन द्वारा नामाकिंत अधिकारी (प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव/उपसचिव)
5. अनु.जाति/जनजाति का एक अधिकारी (नियमानुसार एवं आवश्यकतानुसार)

टीप:- इन विशेषज्ञों का चयन माननीय मंत्री जी एवं अध्यक्ष कार्यकारी समिति द्वारा ऐसे पेनल में से किया जायेगा जो कि महा-निदेशक द्वारा इस हेतु प्रस्तुत होगी ।

कार्यसूची क्र.(3): परिषद के वर्ष 1996-97 के बजट पुर्नविनियोजन के संबंध में ।

इस संबंध में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा कुछ अधिक जानकारी चाहे जाने से इसे समिति की आगामी बैठक में रखे जाने निर्णय लिया गया ।

कार्यसूची क्र.(4):परिषद के पुस्तकालय सह प्रलेखन केन्द्र के भौतिक सत्यापन रिर्पोट अनुसार कम/गुम हुई पुस्तकों की सामान्य क्षति भुगतान राशि रू. 80,515.00 का अपलेखन ।

कार्यकारी समिति ने इस विषय को गंभीरता से लिया है एवं इस बारे में अपलेखन की कार्यवाही का अनुमोदन नहीं करते हुए इसमें व्यवस्था दोषी अधिकारी की पहचान कर कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया ।

कार्यसूची क्र.(5): परिषद में ग्रुप ग्रेज्युटी योजना लागू करने के संबंध में ।

इस संबंध में चर्चा के दौरान यह निर्णय लिया गया कि इस प्रकार की योजना लागू करने के पूर्व शासन एवं वित्त विभाग का मत -जो कि परिषद द्वारा पृथक से पत्र लिखकर मांगा गया है के प्राप्त हो जाने पर ही विचार किये जाने योग्य होगा । अतः इसे शासन (वित्त विभाग सहित) का अभिमत प्राप्त हो जाने के उपरान्त ही कार्यकारी समिति की अगली बैठक में विचारार्थ रखा जाए ।

डॉ.आर.के.सिं... कार्यकारी संचा... म.प्र.वि.एवं प्रौद्यो...

कार्यसूची क्र.(6):डॉ. एस.खॉन, वरिष्ठ संसाधन वैज्ञानिक को उच्च पद के अतिरिक्त कार्य करने हेतु दोहरा कार्य भत्ता बाबत ।

समिति ने निर्णय लिया कि:-"म0प्र0 शासन के दि. 28.12.94 के परिपत्र कि, इस प्रकार के प्रकरणों में दोहरा कार्यभत्ते की पात्रता नहीं होगी तथा लंबित प्रकरण भी इन्हीं

आदेश के तहत निराकृत होगें ।" अतः उप क्त नियम का पालन करते हुए प्रकरण में दोहरा कार्यभत्ता दिया जाना संभव नहीं पाया गया ।

माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रस्तुत एजेण्डा आयटम क्र. 1 से 6 के अतिरिक्त दो अन्य आयटम रखे गये जिन पर निम्नानुसार निर्णय समिति द्वारा लिया गया

. . . .

विशेष कार्यसूची: वरिष्ठ वेतनमान वाले 35 पदों को आस्थगित रखने बाबत । ✓

प्रस्तुत विशेष कार्यसूची पर माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्णय लिया गया कार्यकारी समिति की आगामी बैठक में परिषद की संरचना पर विस्तृत चर्चा की जाए ।
इसी बैठक में सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र को एक पृथक यूनिट के रूप में गठित किये जाने संबंधी विषय पर भी विचार किये जाने का निर्णय लिया गया । इस हेतु यह भी उचित होगा कि वित्त विभाग को विशेष तौर पर लिखा जाये कि वे बैठक में उपस्थित रहें ।

विशेष कार्यसूची: चतुर्थश्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति हेतु 25 % स्थान आरक्षित करने असिस्टेंट (लायब्रेरी/कम्प्युटर) की शैक्षणिक योग्यता बाबत । ✓

समिति के उक्त विशेष कार्यसूची पर सहमति व्यक्त करते हुए यह स्पष्ट किया कि असिस्टेंट (लायब्रेरी/कंप्युटर) के पद में "सफीसिएन्ट नॉलेज ऑफ कम्प्युटर "के स्थान पर किसी मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्ष का कम्प्युटर डिप्लोमा/प्रमाण पत्र होना चाहिए ।

उक्त निर्णयों एवं विचार विमर्श उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से उनके धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक का समापन हुआ ।

. . . .

डॉ.आर.के.सिंह
कार्यकारी संचालक
म.प्र.वि.एवं प्रौद्यो.परि.,भोपाल